16/3/17 पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकार उपस्थित अवकाश
पत्रावली दिनांक 8/5/17 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी जिला-जयपुर

8/5/17 पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प देवगांव में पेश हुई। सभी पक्षकार उप० नाहीने से पत्रावली दिनांक 3/7/17 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी जिला-जयपुर

फोलोअप

3/7/17 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प देवगांव .... में पेश हुई पत्रावली में कोई निर्णय पारित नहीं होने से अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली दिनांक..... 7/9/17 को पेश हो।

7/9/17 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय द्वारा कन्डोलेन्स / कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नही की जा सकी। पत्रावली दिनांक 23/11/17 को पेश हो।

23/11/17 पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी श्री सुधीर शर्मा उपस्थित। वकील वादी न्यायिक अनुतोष के स्थान पर प्राथमिक अनुतोष चाहने हेतु निवेदन किया, कि मृतक छोटु पुत्र प्रताप जाति मीणा निवासी ग्राम देवगांव तहसील बस्सी जिला जयपुर के वारिसान की जाचं कर विरासत का नामान्तरकरण खोलने हेतु तहसीलदार को आदेश फरमाने की कृपा करे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी के कथन पर विचार किया और पाया कि वादी के पिता गोपाल प्रतिवादी नं 3 व प्रतिवादी नं 1 व 2 क्रमशः जगदीश व ग्यारसा रिकार्डेड खातेदार श्री छोटु पुत्र प्रताप के विधिक उत्तराधिकारी है। प्रतिवादी नं 1 जगदीश, श्रवण के गोद चला गया ओर श्रवण की खातेदारी भूमि विरासत में प्रतिवादी नं 1 जगदीश को प्राप्त होकर वर्तमान में रिकार्डेड खातेदार है। स्व0 छोटू पुत्र प्रताप की मृत्यु उपरान्त विरासत खातेदारी का अधिकार प्रतिवादी नं 2 व

उप खण्ड अधिकारी
बस्सी जिला जयपुर लगातार —

वाद संख्या 250/06

रामलाल बनाम जगदीश

3 चाहते है जबकि वादी के पिता गोपाल का विरासत का नामान्तरकरण पेण्डिग है। हमने यह भी पाया की वादी द्वारा वैकल्पिक उपचार रहते वाद दायर किया गया है जिसके संबंध में माननीय उच्चतर न्यायालयों द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों में प्रवारित किया गया है।

अतः इस प्रकरण का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि तहसीलदार बस्सी नियमानुसार खसरा नम्बर 15 रकबा 13 बिस्वा , खसरा नं 15क रकबा 9 बिस्वा, खसरा नं 79 रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं 79क रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नं 79ख रकबा 1 बीघा खसरा नं 79ग रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नं 79घ रकबा 7 बिस्वा, खसरा नं 80 रकबा 3 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 14 बिघा 3 बिस्वा वाके ग्राम देवगांव तहसील बस्सी जिला जयपुर में अंकित खसरा नम्बरान की मृतक छोटू पुत्र प्रताप के वारिसान की जांच कर विरासत का नामान्तरकरण पुनः नियमानुसार 1 माह की अवधि में किया जावे। उभयपक्ष अपना पक्ष, दस्तावेज तहसीलदार बस्सी के समक्ष आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
बस्सी जिला जयपुर

रा.के.मु.ज.-1213-2,00,000-07.